भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3410

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से शुरू करना

3410. श्री अनुराग शर्मा:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से पूर्व बंद पड़ी तथा उसके पश्चात् पुनर्जीवित की गई उर्वरक विनिर्माण इकाइयों का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2014 के पश्चात् रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी तथा तालचेर उर्वरक संयंत्रों के पुनर्जीवित होने से वार्षिक उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि, प्रत्येक इकाई द्वारा कुल कितना निवेश किया गया तथा कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए;
(ग) क्या वर्ष 2014 से पूर्व की अवधि में किसी बंद पड़ी उर्वरक विनिर्माण इकाई को पुनर्जीवित किया गया था, यदि हां, तो किए गए निवेश तथा सृजित उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार बुंदेलखंड क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से किसी नए उर्वरक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करने का है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): यूरिया के संबंध में, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से कुल 4 यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया है जिसमें तेलंगाना स्थित रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी शामिल हैं जो क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में स्थित हैं। इन सभी इकाइयों की स्थापित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। इकाइयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इनकी परियोजना लागत रामागुंडम (आरएफसीएल) के लिए ₹6,338 करोड़,

गोरखपुर के लिए ₹9,443.20 करोड़, सिंदरी के लिए ₹8,939.25 करोड़ तथा बरौनी के लिए ₹9,512.15 करोड़ है। प्रत्येक परियोजना द्वारा लगभग 1,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के उपरांत संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से ओडिशा के तालचेर में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के वर्तमान परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाले नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परिसर नामतः असम वैली फर्टिलाइज़र एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) की भी स्थापना की जा रही है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है जिसके अंतर्गत फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है, जिसके तहत कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने अथवा उर्वरक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/पुनरुद्धार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, 15.07.2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को अनुमोदित किया है।
